मुकदमा 212[illegible]		
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए।
.03.2018	पत्रावली श्री शैलेन्द्र जैन वकील ने पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी हो । वकील प्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रश्न पर उनके निवेदन पर सुना गया । प्रकरण मे कानूनी बिन्दु निहित होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमे प्रार्थीगण द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त भूमि के चारो और पक्की दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है जिसे जबरन नष्ट भ्रष्ट नहीं करे न ही निर्माण मे बाधा पहुंचावे न ही दीवार को क्षति ग्रस्त करे न ही उक्त भूमि के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न ही उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करे न ही प्रार्थीगण के आने जाने मे किसी प्रकार की रूकावट उत्पन्न करे। अप्रार्थीगण के जवाब हेतु मिसल दिनांक 12.04.2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सरवाड़	
12.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी के जारी नोटिस का इंतजार होकर मिसल दिनांक 13.6.18 को पेश हो। SDM Sarwar	
	13.6.18 पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व केम्प में राजीनामा हेतु दिनांक 26.7.18 ग्रां पं सराना को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सरवाड़	मुन्ना
28.6.18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर अप्रार्थी मुन्ना हाजिर सुना गया। ~~[illegible]~~ बाड़ का निस्तारण किया जा चुका है अतः इस प्रार्थना पत्र की अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है अतः प्रार्थना पत्र की कार्यवाही समाप्त की जाती है मिसल नंबर से कम होकर शुमार	बालूराम प्रताप

Scanned by CamScanner

फैसला [illegible] हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज अटल सेवा केन्द्र सराना में सुनाया गया।

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner